निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1383) पटना, वृहस्पतिवार, 14 अगस्त 2025

सं०सं० 5(स0)/बियाडा (भूमि अधिग्रहण औरंगाबाद)–07/2025—*3636*

उद्योग विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2025

विषयः– औरंगाबाद जिला अन्तर्गत कुटुम्बा अंचल में कुल रकबा–441.79 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 2,84,28,28,415.00 (रुपये दो सौ चौरासी करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ पन्द्रह) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.07.2024 के बैठक में मद संख्या–42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि अधिग्रहित की जायेगी, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

2. उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्र संख्या–27/भू0अ0 दिनांक–08.01.2025 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा अंचल अंतर्गत मौजा–महसु, जौड़ा, ईरियप एवं करमडीह से कुल रकबा–213.0081 एकड़, मौजा–निरंजनपुर, कझपा एवं सहदेई परसावां से कुल रकबा 179.14 एकड़ एवं मौजा–महसु एवं ईरियप से कुल रकबा–49.65 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा–441.79 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 2,84,28,28,415.00 (रुपये दो सौ चौरासी करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ पन्द्रह) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त भूमि के अधिग्रहण से औद्योगिक क्षेत्र के विकास होगा जिससे विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेगे। लोगों का पलायन भी रूकेगा तथा नये शहरी क्षेत्रों का भी विस्तार होगा।

4. भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की निकासी माँग संख्या–23, मुख्यशीर्ष–4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या–23–4885020500101 विषय शीर्ष–0101–53–02 भू–अर्जन मद से आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका 2 पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा के उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

6. उक्त पर दिनांक–05.08.2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–2 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1383-571+10-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in